जयराम बनाम मुन्ना वगैरह मु०नं० 29/2

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की ता में जारी
7-7-2021	वकील उभयपक्ष उप०। वकील अप्रार्थीगण ने फर्द के साथ 3 किता दस्तावेज प्रस्तुत किए। बहस हेतु पत्रा० दि० 19-7-2021 को पेश हो। T. I. आदेश आगामी पेशी तक बढाया जाता है।	
19-7-2021	वकील उभयपक्ष उप०। T. I. प्रा०पत्र पर बहस सुनी गई। T. I. प्रा०पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (सं०मा०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:13:49 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
[illegible]	14.6.2021	19.7.2021

[illegible] पुत्र कन्हैया, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
[illegible] पुत्र कन्हैया, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
[illegible] पुत्र कन्हैया, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
[illegible] बेवा कन्हैया, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी

——प्रार्थीगण

बनाम

[illegible] पुत्र चिरंजी, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
[illegible] उर्फ ओमी पुत्र चिरंजी, गुर्जर निवासी चूली तह0 गंगापुर सिटी
[illegible] पुत्र चिरंजी, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
[illegible] पुत्र पून्या, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
[illegible] पुत्र पून्या, गुर्जर निवासी चूली तह0 गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

[illegible] :— श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

[illegible] ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है [illegible] की खातेदारी भूमि ख0नं0 1653 रकबा 0.48 है0 ग्राम चूली में [illegible] जिसमें प्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण की [illegible] के उत्तर में अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 1675 मौजूद [illegible] अपनी खातेदारी भूमि हालख0नं0 1675 में प्रार्थीगण की [illegible] हाल ख0नं0 1653 के लगवां अपना पुख्ता मकान निर्माण कर [illegible] अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं के मकान में आर0सी0सी0 की छत डालने के [illegible] सेटरिंग लगाई है उसमें प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के ऊपर करीब [illegible] से तीन फीट आर0सी0सी0 के छज्जे निकालने के लिए सेटरिंग [illegible] है। प्रार्थीगण ने जब उन्हें अपने खेत में से सेटरिंग हटाने के लिए [illegible] अप्रार्थीगण नाराज हो गए तथा अप्रार्थीगण ने कहा कि हम जबर्दस्ती [illegible] तरफ छज्जे निकालेंगे, हमें छज्जे निकालने से कोई नहीं रोक सकता [illegible] ने उन्हें समझाया कि तुमने अपनी भूमि में से एक इंच भी जमीन [illegible] के लिए नहीं छोड़ी है फिर भी हमारी भूमि में छज्जे क्यों निकाल रहे [illegible] अप्रार्थीगण ने फिर भी उन बल्लियों को नहीं हटाया और धमकी दी कि [illegible] कुछ दिन में आर0सी0सी0 की छत डाल देंगे। अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण [illegible] पर छज्जे डालने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण अपनी बेजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Gehlot
Date: 2022.04.19 13:13:49 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] निवेदन है [illegible]
[illegible] भूमि पर छज्जे नहीं [illegible] प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय [illegible] पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि [illegible] को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] दावा इस प्रकार से पाबंद फरमाया जावे कि वे प्रार्थीगण की [illegible] भूमि हाल ख0नं0 1653 के ऊपर अपने कोई निकासू छज्जे नहीं [illegible] तथा निकासू कोई निर्माण कार्य नहीं करें तथा वादीगण के खेत की [illegible] खिडकी, नाले, परनाले नहीं निकालें एवं भूमि के उपयोग उपभोग [illegible] को बाधा उत्पन्न नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया

अप्रार्थीगण ने अपने जबाब में अंकित किया है कि रिकार्ड में भूमि ख0नं0 [illegible] रकबा 0.48 है0 प्रार्थीगण के नाम दर्ज है परन्तु ख0नं0 1675 अप्रार्थीगण [illegible] दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण ने यह नम्बर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज होना [illegible] अंकित किया है। प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 1653 के उत्तर में अप्रार्थीगण की भूमि होना गलत है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 1653 के उत्तरी पश्चिमी तरफ भूमि ख0नं0 1655 रकबा 0.03 है0 [illegible] रास्ता है, उसके बाद अप्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 1656 रकबा 2.05 है0 है। इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य मौके पर चालू रास्ता ख0नं0 1655 है। प्रार्थीगण ने दोनों के मध्य स्थित रास्ते के तथ्य को छिपाकर [illegible] दावा प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नहीं [illegible] हैं। अप्रार्थीगण ने अपनी भूमि ख0नं0 1656 में कृषि उपज, उपकरण एवं खेती की देखरेख हेतु मकान का निर्माण किया है तथा दोनों पक्षों के मध्य रास्ता ख0नं0 1655 पूर्वानुसार अभी भी चालू है एवं रास्ते के बाद प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 1653 है। ढाई फीट से तीन फीट आर0सी0सी0 के छज्जे निकालने के लिए सेटरिंग प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 1653 के ऊपर निकालने की बात गलत है। जब प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की भूमि आपस में चरपेटवां ही नहीं है तो आर0सी0सी0 के छज्जे प्रार्थीगण की भूमि की ओर निकालने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण इस दावे की आड में रास्ते की भूमि ख0नं0 1655 पर कब्जा करना चाहते हैं जबकि सरकारी रास्ता भूमि ख0नं0 1655 सबके आने जाने के काम आता है। प्रार्थीगण का यह आरोप भी गलत है कि अप्रार्थीगण ने दोनों पक्षों के मध्य स्थित रास्ता ख0नं0 1655 पर कोई अतिक्रमण निर्माण किया है। अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के लिए प्रार्थीगण ने यह दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 16:13:49 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(स0मा0)

[illegible] प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र [illegible] फरमाया जावे।

[illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी [illegible] 2070 से 2073 खाता संख्या 340 ग्राम चूली, फोटोकोपी [illegible] प्रस्तुत की हैं।

[illegible] की ओर से फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस, फोटोकोपी नकल [illegible] 2070 से 2073 खाता संख्या 586, 340, 1 ग्राम चूली प्रस्तुत किए।

[illegible] पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी।

[illegible] के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के [illegible] करते हुए कहा कि भूमि ख0नं0 1653 प्रार्थीगण की खातेदारी [illegible] है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि के लगवां मकान निर्माण का कार्य [illegible] है तथा प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 1653 के ऊपर ढाई तीन फीट के [illegible] के छज्जे निकाल रहे हैं जिसके लिए उन्होने सेटरिंग भी करवा [illegible] अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा पाबंद फरमाया जावे कि वे [illegible] की खातेदारी भूमि हाल ख0नं0 1653 के ऊपर अपने निकासू छज्जे [illegible] कोई निकासू निर्माण कार्य नहीं करें एवं प्रार्थीगण को भूमि के [illegible] उपयोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें।

[illegible] के विद्वान वकील ने अपनी बहस मे बताया कि प्रार्थीगण ने [illegible] के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करते हुए स्थगन आदेश प्राप्त किया है। [illegible] ने उनके द्वारा प्रस्तुत नकल नक्शा ट्रेस को बताते हुए तर्क [illegible] की भूमि ख0न0 1656 मे एवं अप्रार्थीगण की भूमि ख0न0 [illegible] इन दोनो ख0नम्बरो के मध्य ख0न0 1655 गैर मुमकिन रास्ता है। जो [illegible] आर पार चालू है। अप्रार्थीगण अपनी भूमि मे ही निर्माण कार्य कर [illegible] है। प्रार्थीगण की भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के लगवां नही है। [illegible] निर्माण कार्य के दौरान यदि छज्जे निकालते है तो वे प्रार्थीगण की [illegible] भूमि मे नही जाकर रास्ते की भूमि पर जायेगें। रास्ते की भूमि मे इस [illegible] के सैकडो निर्माण हो रहे [illegible] गण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित [illegible] है। अतः इनका अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

[illegible] पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थीगण [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमे उन्होने स्वयं की [illegible] को गैरसायलान की भूमि ख0न0 1653 के लगवां बताया है एवं इसी [illegible] पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.6.2021 को अंतरित अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:13:49 IST
Reason: SelfAttested

निषेधाज्ञा जारी की गई है। अप्रार्थीगण की ओर से नकल नक्शा ट्रेस की जो प्रति प्रस्तुत की गई है उसमे ख0न0 1656 प्रार्थीगण की भूमि है एवं ख0न0 1653 अप्रार्थीगण की भूमि है। इन दोनो के मध्य ख0न0 1655 गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज है एवं यह रास्ता ख0न0 1654, 1643 और इस की अन्य रास्ते की भूमि के रूप मे आर पार है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण की भूमि ख0न0 1653 व प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 1656 आपस मे सटी स्थित नही है। फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित नही होता है एवं प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.6.2021 को जारी अंतरित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश वापस लिया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 19.7.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:13:49 IST
Reason: SelfAttested